

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अयोध्या

पत्रसं०-मेमो/सी०एफ०ओ०-2019

दिनांक- 21.12.20

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
अवध इण्टर नेशनल स्कूल,
आशापुर दर्शन नगर,
अयोध्या


विषय:-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम/फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थापना/
क्रियाशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आवेदक/आप का पत्रांक -1090/AIS_2020 दिनांक- 14-02-2020

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके प्रार्थना-पत्र के क्रम में आपके प्रतिष्ठान में उपलब्ध 12 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1) /आठ दिनांक 27.12.1982 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा सि०ला० फैजाबाद में चालान सं० बी 500046 दिनांक 19-02-2020 के अनुसार रू० 120.00 जमा किया गया है। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 12 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील	अकार्यशील
1.	एबीसी टाइप	05	08	कार्यशील	-
2.	डीसीपी टाइप	05	08	कार्यशील	-

इस प्रकार आपके सस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर/सिस्टम की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता दिनांक 18-02-2021 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार वांछनीय होगी, तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। इस प्रमाण-पत्र को भवन के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। उपरोक्तानुसार पालन न किए जाने की दशा में निर्गत प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(आर०के० राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या